

मांग संख्या 81

मुख्यशीर्ष 3604

मद क्रमांक 1

नगरीय निकायों में स्थित औद्योगिक इकाईयों के संपत्तिकर से छूट हेतु ₹1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान योजनान्तर्गत राशि ₹2470.23 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹24,70,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

नगरीय निकायों में स्थित औद्योगिक इकाईयों के संपत्तिकर से छूट हेतु ₹1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान योजनान्तर्गत राशि ₹780.07 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹7,80,07,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

नगरीय निकायों में स्थित औद्योगिक इकाईयों के संपत्तिकर से छूट हेतु ₹1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान योजनान्तर्गत राशि ₹3250.30 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹32,50,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।